न्यायालय – सिविल जज, (अवर खण्ड), बीसलपुर, पीलीभीत।

मूल वाद संख्या– 77/2017

सुबनेश कुमार पाठक..................बनाम..................उमंग पाठक आदि।।

दिनांक:06.02.2018

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते वाद बिन्दु नियत है। उभय पक्षो को धारा 89 सी0पी0सी0 के तहत वाद का निस्तारण किये जाने हेतु अवगत कराया गया। समझौते के आधार पर वाद निस्तारण होने में असमर्थता जताई। अतः उभय पक्षो के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये जाते हैं :–

01– क्या वादी वादग्रस्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार है?

02– क्या वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन कम किया गया है?

03– क्या वादी द्वारा प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है?

04– क्या इस न्यायालय को इस वाद की सुनवाई एवं निस्तारण करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है?

05– क्या दावा वादी आदेश 07 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्राविधानों से बाधित है?

06– क्या प्रस्तुत वाद धारा 144 राजस्व संहिता के प्राविधान से बाधित है?

07– क्या प्रस्तुत वाद धारा 38, 40 व 41 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनिय के प्राविधानों से बाधित है?

08– क्या वादी याचित अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी है?

उक्त वाद बिन्दुओं के अतिरिक्त न तो कोई अन्य वाद बिन्दु बनता है और न ही किसी अन्य वाद बिन्दु के सृजन हेतु पक्षकारों की ओर से बल दिया गया। उभय पक्ष अपना अपना साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत करें। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रारम्भिक वाद बिन्दु संख्या 02 व 03 लन्चबाद पेश हो।

सिविल जज,(जू0डि0),
बीसलपुर,पीलीभीत।

06.02.2018 लन्च बाद

पत्रावली लन्च बाद पेश हुई, पुकार करायी गयी। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित हैं वाद बिन्दु सं0–02 एवं 03 पर उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 02

यह वाद बिन्दु इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन कम किया गया है?

उक्त वाद बिन्दु प्रतिवादी के अभिवचनों के आधार पर विरचित किया गया है, जिसको साबित करने का भार प्रतिवादी पक्ष पर है। प्रतिवादी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन कम किया गया है। इसके विपरीत वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि वाद का मूल्यांकन सही किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि वादी द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति के सम्बंध में उक्त वाद **स्थायी निषेधाज्ञा** हेतु योजित किया है और वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन (अ) अनुतोष हेतु वार्षिक लगान के तीस गुने के आधार पर किया गया है तथा (ब) अनुतोष हेतु अनुमानित लागत मु0 10,000/–रू0 पर किया गया है। हालांकि प्रतिवादी पक्ष की ओर से यह तर्क तो अवश्य दिया गया है कि वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन कम किया गया है, परन्तु उनके द्वारा अपने इस तर्क के समर्थन में कोई मौखिक या दस्तावेज़ी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह दर्शित हो कि वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन कम किया गया है। तद्‌नुसार प्रतिवादी पक्ष के इस तर्क में कोई बल प्रतीत नहीं होता है। अतः वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन सही किया गया है, तद्‌नुसार

वाद बिन्दु सं0–02 वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी पक्ष के विरूद्ध निर्णीत किया जाता है।

सिविल जज,(जू0डि0),
बीसलपुर, पीलीभीत।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 03

यह वाद बिन्दु इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वादी द्वारा प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है?

उक्त वाद बिन्दु प्रतिवादी पक्ष के अभिवचनों के आधार पर विरचित किया गया है, जिसको साबित करने का भार प्रतिवादी पक्ष पर है। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि वादी द्वारा अदा किया गया न्याय शुल्क अपर्याप्त है। इसके विपरीत वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि वादी द्वारा अदा किया गया न्याय शुल्क पर्याप्त है। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि वादी द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति के सम्बंध में उक्त वाद **स्थायी निषेधाज्ञा** हेतु योजित किया है और वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन (अ) अनुतोष हेतु वार्षिक लगान के तीस गुने के आधार पर किया गया है तथा (ब) अनुतोष हेतु अनुमानित लागत मु0 10,000/–रू0 पर किया गया है तथा न्याय शुल्क उसके 1/5 भाग पर अदा किया गया है। हालांकि प्रतिवादी की ओर से यह तर्क तो अवश्य दिया गया है कि वादी द्वारा प्रदत्त न्याय शुल्क अपर्याप्त है, परन्तु उसके द्वारा अपने इस तर्क के समर्थन में कोई मौखिक या दस्तावेज़ी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह दर्शित हो कि वादी द्वारा प्रदत्त न्याय शुल्क अपर्याप्त है, तद्नुसार प्रतिवादी पक्ष के इस तर्क में कोई बल प्रतीत नहीं होता है। अतः वादी द्वारा अदा किया गया न्याय शुल्क पर्याप्त है, तद्नुसार वाद बिन्दु सं0–03 वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी पक्ष के विरूद्ध निर्णीत किया जाता है।

पत्रावली वास्ते सुनवाई/निस्तारण वाद बिन्दु सं0–04 व 05 दिनांक 07.03.2018 को पेश हो। टी0आई0 अग्रिम तिथि तक प्रभावी रहेगी।

सिविल जज,(जू0डि0),
बीसलपुर, पीलीभीत।